संसं0–5 बजट (1) 47/2022 ....04 रा(वि)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 30-05-24

विषय– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) में राज्य योजना तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मो0 5955.17155 लाख (उनसठ करोड़ पचपन लाख सतरह हजार एक सौ पचपन) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन में उपलब्ध बजट उपबंध मो0 6310.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मो0 5955.17155 लाख (उनसठ करोड़ पचपन लाख सतरह हजार एक सौ पचपन) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह राज्य योजना चालू प्रकृति की अम्ब्रेला योजना **(Umbrella Scheme)** है जिसमें तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना के अतिरिक्त फीड बेस्ड फिशरीज योजना, मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन योजना, केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना तथा समेकित मत्स्य पालन योजना भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत विभागीय मत्स्य बीज वितरण, मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति, पोर्टेबल हैचरी एवं विभागीय हैचरियों से स्पॉन उत्पादन, जलाशयों एवं नदियों के छाड़न में in-situ स्पॉन संचयन, जलाशयों में मेजर कार्प तथा ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन, तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के कय में सहायता, पूर्व अधिष्ठापित केजों तथा विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc Tank/Biofloc Pond में पंगेशियस/GIFT तिलापिया एवं अन्य उपयुक्त बीज का संचयन, पुराने आर0एफ0एफ0 हेतु इनपुट, नए आर0एफ0एफ0 का अधिष्ठापन, अनुदान पर ग्रो–आउट नेट, गिल–नेट, मोटरचालित नाव, केज हाउस का अधिष्ठापन, केज रिपेयरिंग, मछली–सह–बत्तख पालन, मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी (फीड बेस्ड फिशरीज) के लिए मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु अनुदान पर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराने के साथ ही राँची, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो, धनबाद एवं सरायकेला जिले में स्थापित फिश फीड फैक्टरी हेतु आवश्यकता अनुसार संचालन, केज अधिष्ठापन, इनपुट, केज रिमॉडलिंग आदि कार्य किए जायेंगे।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 5955.17155 लाख (उनसठ करोड़ पचपन लाख सतरह हजार एक सौ पचपन) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :–

माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

(राशि लाख रू0 में)

क0	लघु शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(क)	**लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन**			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण **53S24050010106010317**	20.00	20.00	0.00
2	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050010106010323**	2358.00	2357.97845	0.02155
3	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ **53S24050010106010329**	15.00	0.00	15.00
4	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय **53S24050010106010337**	25.00	25.00	0.00
5	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050010106010543**	12.00	12.00	0.00
6	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050010106010544**	225.70	115.9825	109.7175
7	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53S24050010106010759**	25.00	25.00	0.00
	उप योगः	**2680.70**	**2555.96095**	**124.73905**
(ख)	**लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना**			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050078906010323**	711.00	710.99025	0.00975
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050078906010544**	16.60	16.425	0.175
	उप योगः	**727.60**	**727.41525**	**0.18475**
(ग)	**लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना**			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण **53S24050079606010317**	10.00	10.00	0.00
2	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050079606010323**	2508.00	2507.98785	0.01215
3	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ **53S24050079606010329**	15.00	0.00	15.00
4	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय **53S24050079606010337**	20.00	20.00	0.00
5	विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियाँ / ईंधन–40–नई मोटरगाड़ी का कय **53S24050079606010440**	25.00	0.00	25.00
6	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050079606010543**	35.00	35.00	0.00
7	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050079606010544**	265.70	75.8075	189.8925
8	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53S24050079606010759**	23.00	23.00	0.00
	उप योगः	**2901.70**	**2671.79535**	**229.90465**
	कुल योगः	**6310.00**	**5955.17155**	**354.82845**

कुल मो0 5955.17155 लाख (उनसठ करोड़ पचपन लाख सतरह हजार एक सौ पचपन) रु0 मात्र।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉची/पश्चिमी सिंहभूम/पूर्वी सिंहभूम/गुमला/लोहरदगा/पलामू/गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/गिरिडीह/देवघर/चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसॉवा/सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़/रामगढ़/खूँटी/कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न विवरणी के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे। इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से संलग्न परिशिष्ट–I, II, III, IV, V, VI एवं VII में उल्लेखित भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही राशि व्यय की जाएगी।

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

<u>तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार –</u>

6. इस योजना में विभागीय प्रक्षेत्रों में कुल 2500 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन मो0 9000/– (नौ हजार) रु0 प्रति लाख मत्स्य बीज की अनुमानित दर पर किया जायेगा। लघु शीर्ष–789 में उत्पादित 300 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत् अर्थात् 240 लाख मत्स्य बीज, लघु शीर्ष–796 में उत्पादित 1310 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत् अर्थात् 1048 लाख मत्स्य बीज एवं लघु शीर्ष–101 में उत्पादित बीज 890 लाख का 80 प्रतिशत् अर्थात् 712 लाख मत्स्य बीज अर्थात् कुल 2000 लाख मत्स्य बीज मो0 10,000/– (दस हजार) रु0 प्रति लाख की दर से बिक्री कर मो0 200.00 लाख (दो करोड़) रु0 का राजस्व प्राप्त किया जायेगा।

शेष 500 लाख मत्स्य बीज अनुदान पर वैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जो नगद राशि पर मत्स्य बीज का क्रय किए हों। अस्सी हजार मत्स्य बीज क्रय करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को बीस हजार मत्स्य बीज शत्–प्रतिशत् अनुदान पर देय होंगे। यह अनुपातिक रुप से जिलावार इस कोटि के लक्ष्य के अधीन होगा।

7. निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा कुल 473.75 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल 1895 करोड़ मत्स्य स्पॉन प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को सरकारी तथा गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम 550/–रु0 प्रति लाख स्पॉन की अनुमानित दर से उत्पादन/जिला स्तरीय निविदा द्वारा क्रय कर आपूर्ति करने की योजना है। आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन के मूल्य का 90 प्रतिशत व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा किया जायेगा। समान मूल्य दर पर स्थानीय हैचरी संचालकों को प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य के 137 पोर्टेबल मत्स्य बीज हैचरियों से 410 करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन तथा विभागीय हैचरियों के रख–रखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं इनसे 148 करोड़ मत्स्य स्पॉन का उत्पादन किया जाएगा। प्रति करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन हेतु अधिकतम 40,000/– रु0 की दर से अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो, का व्यय किया जाएगा। पोर्टेबल हैचरी से उत्पादित स्पॉन की बिक्री से प्राप्त आय संबंधित हैचरी संचालक समूह के बैंक खाते में जमा होगी ताकि इस समूह के हैचरी कार्य से इन्हें स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो सके। अवशेष राशि हैचरी के रख–रखाव एवं अगले चक्र हेतु उपयोग की जायेगी।

पायलट प्रोजेक्ट के रुप में राज्य में विभागीय स्तर पर पंगेशियस मत्स्य बीज हैचरी का संचालन मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के द्वारा किया जाएगा। विभागीय हैचरी के रख–रखाव एवं स्पॉन उत्पादन के तहत् ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7500 मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन से मत्स्य बीज की तैयारी, निकासी एवं बिक्री हेतु 2000/–रु0 का फैक्ट्री फॉरमूलेटेड एक्सट्रूडेड मैश फीड (Factory Formulated Extruded Mash Feed) दिया जायेगा, साथ ही जाल आदि के क्रय पर अधिकतम् 2000/–रु0 अनुदान प्रति बीज उत्पादक की दर से झास्कोफिश, राँची के द्वारा आपूर्ति की जाएगी। झास्कोफिश, राँची से अनुपलब्धता की स्थिति में GeM / जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

8. (क) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों के माध्यम से जलाशयों में in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 800/– रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रुप से व्यय किया जायेगा। चयनित स्थल, संचित किये गये स्पॉन, की गई आवश्यक तैयारी तथा फोटोग्राफ्स आदि से संबंधित अभिलेख तैयार करने की जिम्मेवारी संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। इस कार्यक्रम के भौतिक ऑकड़ों/उपलब्धियों का अंकन अभिलेख का आवश्यक अंग होगा। स्थल चयन मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों तथा संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रुप से की जाएगी एवं उसका भी ब्यौरा अभिलेख में संधारित किया जायेगा। इसीप्रकार नदियों में भी in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 700/– रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रुप से व्यय किया जायेगा।

(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने जिले के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के प्राप्त भौतिक लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर बड़े जलाशयों, मध्यम जलाशयों एवं छोटे जलाशयों में संचयन हेतु विभाजित करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक जलाशयों में समानुपातिक रुप से अंगुलिकाओं का संचयन संभव हो। उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)/निदेशक मत्स्य द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु आवश्यक संख्या का अनुमोदन किया जाएगा। निदेशक मत्स्य द्वारा जलाशयों में अंगुलिकाओं के ससमय संचयन हेतु आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत किया जायेगा।

(ग) पुराने आर0एफ0एफ0 में इनपुट्स (यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार आदि) हेतु संलग्न परिशिष्टों में अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप प्रति यूनिट अधिकतम 25,000/– रु0 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की दर से कार्य संपादित किए जायेंगे।

(घ) जलाशंयों/नदियों के छाड़न हेतु स्पॉन का क्रय GeM / जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(ङ) इस योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र के तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु स्थानीय स्तर पर उत्पादित मत्स्य अंगुलिका के क्रय में 50 प्रतिशत सहायता अर्थात् अधिकतम 1875/– रु0 प्रति एकड़ औसत जलक्षेत्र (लगभग 5000 बीज प्रति एकड़) हेतु अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त एवं चालू वित्तीय वर्ष में झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल से फीड प्राप्त करने वाले मत्स्य कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिला मत्स्य कार्यालय से संबद्ध मत्स्य बीज उत्पादकों से मत्स्य अंगुलिका क्रय किया जायेगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन के Geo tagged फोटोग्राफ्स (Latitude – longitude सहित)/वीडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे। विभाग द्वारा मत्स्य स्पॉन प्राप्त करने वाले मत्स्य बीज उत्पादक एवं उनके परिवार को यह लाभ देय नहीं होगा।

(च) योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएँगे।

9. मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जिला स्तर पर पूर्व से उपायुक्त द्वारा गठित समिति एवं जलाशय के निबंधित सहयोग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। संचयन के कार्यक्रम से जिले के उपायुक्त को संचिका के माध्यम से अवगत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार नई समिति का गठन उपायुक्त की सहमति से किया जा सकेगा।

10. (क) पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/अन्य उपयुक्त बीज तथा अन्य मेजर/ग्रास कार्प की अंगुलिकाओं के क्रय हेतु जिला स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जायेगी। समान मूल्य दर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन एवं in-situ बीज उत्पादन के फोटोग्राफ्स (Latitude – longitude सहित)/वीडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे।

(ग) एक मत्स्य बीज उत्पादक से न्यूनतम 50 हजार तथा अधिकतम 02 लाख मत्स्य बीज (मेजर कार्प अंगुलिका) ही क्रय किये जायेंगे एवं तद्नुसार लाभुक के बैंक खाते में अनुदान की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) विगत वर्षों की भाँति ही समितियों एवं उनके सदस्यों को दिए जाने वाले 202 नाव हेतु प्रति नाव की अनुमानित इकाई लागत 33,000/– (तैंतीस हजार) रू0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् 30,000/– (तीस हजार) रू0 प्रति नाव लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। शेष राशि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(ड.) केज रिपेयरिंग की अनुमानित लागत 35,000/– (पैंतीस हजार) रू0 है जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् 25,000/– (पच्चीस हजार) रू0 की होगी। शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा। केज रिपेयरिंग के लिए इच्छुक लाभुक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देंगे। प्राप्त आवेदनों की स्थल जाँच प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अथवा आवश्यकतानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वयं लाभुक के साथ ससमय करेगें। मरम्मति योग्य केज का लाभुकवार केज रिपेयरिंग के अभिलेख तैयार किए जायेंगे। अभिलेख में लाभुक का आवेदन, केज का फोटोग्राफ् (Latitude – longitude सहित), रिपेयरिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची (दर सहित), मजदूरी पर व्यय की गई राशि, केजों की कुल संख्या एवं रिपेयरिंग के उपरांत फोटोग्राफ् तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की टिप्पणी सहित लाभुक का कार्य सम्पादित का आवेदन संधारित किये जायेंगे। केज रिपेयरिंग में प्रयुक्त सामग्रियों/मजदूरी का भुगतान केज अधिष्ठापन के वर्तमान प्राक्कलन/अधिसूचित दर के आधार पर वास्तविक अथवा अधिकतम मो0 25000/–रू0 प्रति केज बैटरी, जो भी कम हो किया जायेगा तथा शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी केज रिपेयर में हुए कार्यों में लाभुकों के अंशदान के समानुपातिक राज्य सहायता सुनिश्चित करेंगे।

(च) जलाशयों में वर्ष 2018–19 तक निर्मित केजों के लिए कम से कम 6 मीटर x 4 मीटर x 5 मीटर साईज के 45 Ply के 12–24 mm eye size नायलॉन, 210 D नायलॉन knotted / knotless (लाभुक के इच्छानुसार) ग्रो–आउट नया नेट लगाना आवश्यक है। एक लाभुक को अधिकतम् दो नये ग्रो–आउट नेट ही देय होंगे। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा ग्रो आउट नेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में 45 Ply के knotted ग्रो–आउट हेतु निर्धारित न्यूनतम दर 30,200/– रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 22,650/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष लाभुक का अंशदान होगा। केज मत्स्य पालक अगर knotless ग्रो–आउट नेट अथवा 6 मीटर x 4 मीटर x 5 मीटर साईज से बड़े साईज के ग्रो–आउट नेट का क्रय करते हैं तो उनके 75 प्रतिशत अनुदान की गणना उक्त दर 30,200/– रुपये प्रति नेट के आधार पर ही की जाएगी एवं आवश्यक शेष राशि का वहन लाभुक द्वारा किया जायेगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके पास वर्ष 2019–20 के पूर्व अर्थात् वर्ष 2018–19 तक के निर्मित केज हों तथा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये ग्रो–आउट नेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा ग्रो–आउट नेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(छ) जलाशयों में मछली पालन के दौरान मत्स्य पालकों की सुरक्षा तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली मोटरचालित नाव की मांग को ध्यान में रखते हुये जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को 4 से 6 सीटर क्षमता वाले मोटरचालित नाव {FRP Boat, Size-14'-0" x 5'-4" x 2'-0" के साथ 9.9 HP OBM HIDEA/SUZUKI/YAMAHA/OUTBOARD etc. equivalent, Manual Rope Start 2 Stroke Petrol operated तथा Accessories-Oars (2 Nos.) एवं PP Rope-50 Ft.} उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा मोटरचालित नाव की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 4,14,000/– रुपये का 90 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 3,72,600/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुक समितियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चयन जिले के उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे। इस हेतु चयन समिति का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। बोट के संचालन तथा रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समिति की होगी।

(ज) इसी प्रकार जलाशयों में मछली की शिकारमाही करने वाले जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों/विस्थापितों तथा कोविड–19 के प्रवासी मजदूरों को मछली की शिकारमाही हेतु प्रति लाभुक अधिकतम 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट (Fish Net Nylon Poly, Twin size 1/3, Mesh size 75mm – 150 mm, M.D 100) हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। इस स्पेशिफिकेशन के गिल नेट के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा इकाई लागत निर्धारित करने के लिए आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 590/– रुपये के विरुद्ध 90 प्रतिशत् की आर्थिक सहायता अर्थात् 2655/– रु0 दी जाएगी एवं आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। लाभुक को अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत दो वर्षों का मछली शिकारमाही का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। उपरोक्त उल्लिखित स्पेशिफिकेशन के नये 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन उपरान्त अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

(झ) पूर्व में वर्ष 2015–16 तक विभिन्न जलाशयों में केज हाउस का निर्माण कराया गया है। किन्तु वर्ष 2016–17 से केन्द्र प्रायोजित ब्लू रेभोल्यूशन योजना एवं एन0एफ0डी0बी0 द्वारा तथा

वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् राज्य के विभिन्न जलाशयों में निर्मित केजों के साथ केज हाउस निर्मित नहीं हैं। इन केजों में मछलियों के आहार (Fish Feed) को रखने की व्यवस्था तथा केज पालकों के ठहरने हेतु केज हाउस आवश्यक है। केज हाउस के अधिष्ठापन से जलाशयों में अधिष्ठापित केजों में मछली पालन, की निगरानी भी अच्छे तरीके से की जा सकेगी। कार्यपालक अभियंता, RWD Works Division, हजारीबाग द्वारा मो0 6,05,450/– रुपये मात्र प्रति केज हाउस के प्राक्कलन पर दिनांक 21.09.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

निदेशक मत्स्य द्वारा उपरोक्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध केज हाउस की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 6,01,000/– रुपये पर अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। पूर्व के वैसे केज लाभुक जिन्हें केज हाउस का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस केज हाउस का लाभुक बनाया जा सकता है।

ध्यान रखा जाए कि जहाँ पूर्व से केज हैं, वहीं केज हाउस का निर्माण कराया जाय और मोटरबोट उपलब्ध कराई जाए।

(ञ) नये आर0एफ0एफ0 के लिए प्रति चालीस मी0 X पाँच मी0 के नेट के साथ इनपुट व्यय सहित इकाई लागत मो0 86,000/– रु0 अनुमानित है। इस योजना के अंतर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी (Latitude – longitude सहित), डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएँगे।

(ट) अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) मद के तहत् आवश्यकतानुसार कार्यों के साथ–साथ क्रय आदि की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये सोलर लाईट अधिष्ठापन का कार्य किया जायेगा।

(ठ) योजना के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा जिलों को अनुदेश जारी किये जायेंगे।

(ड) प्राथमिक स्तर पर प्रखण्ड प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं द्वितीय स्तर पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण किया जाएगा। मदवार प्रगति के आँकड़ों का मासिक संकलन जिला स्तर पर करते हुए इसका प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को प्रेषित किया जाएगा।

निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक, योजना, प्रसार एवं अनुश्रवण/जलाशय/सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी) इस योजना के अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे। निदेशालय स्तर पर आवश्यकतानुसार योजना के विभिन्न एवं आवश्यक कम्पोपेंटस का समय–समय पर मूल्यांकन कराया जाएगा।

<u>समेकित मत्स्य पालन</u> –

11. राज्य के मत्स्य पालकों को समेकित मत्स्य पालन की ओर उन्मुख करने तथा उनकी आय में बढ़ोत्तरी हेतु निजी क्षेत्र के लिए मछली–सह–बत्तख पालन योजना की स्वीकृति दी जाती है।

i. इस योजना में लाभुकों के द्वारा मछली–सह–बत्तख पालन (2 Components) किया जाएगा।
ii. वित्तीय वर्ष 2020–21 में मत्स्य प्रसार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना अन्तर्गत राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न बैठक में एक कॉम्पोनेन्ट के रूप में मछली–सह–बत्तख पालन की स्वीकृति प्राप्त है। बैठक की कार्यवाही माननीय

योजना–सह–वित्त मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) के ज्ञापांक रा0 यो0 प्रा0 – 35/21 दिनांक 01.03.2021 द्वारा निर्गत है।

12. (क) चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भी समान इकाई लागत दर (मो0 1,53,350/–रू0) प्रति 0.4 हेक्टर जलक्षेत्र (तालाब) लागू होगी। Duck House लाभुक द्वारा स्थानीय स्तर पर बनाया जायेगा।

(ख) इस योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम मो0 1,22,680/–रू0) होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम मो0 1,07,345/–रू0) होगा, शेष सभी राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इसी प्रकार 0.2 हेक्टेयर पर मछली–सह–बत्तख पालन के लिए राज्य सरकार के अंशदान की राशि समानुपातिक रुप से होगी।

13. प्राथमिकता एक एकड़ अथवा उससे बड़े जलक्षेत्र के तालाबों को दी जाएगी किन्तु एक स्थल/लाभुक पर एक यूनिट (160 ducklings) ही स्वीकृत किया जायेगा।

RFF के लिए भी प्रति स्थल अधिकतम दो इकाई (Two units) की परियोजना होगी। लाभुक का अंशदान वहाँ कार्यरत लाभुक समूह/मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा वहन किया जाएगा।

14. समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में लाभुकों का चयन जिला स्तर पर ''सुरक्षित जमा निर्धारण समिति'' द्वारा किया जायेगा जिसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी (पशु चिकित्सक) विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

15. लाभुकों का चयन निम्न बिन्दुओं/अहर्त्ताओं पर किया जायेगा –

(क) योजना कार्यान्वयन का प्रस्तावित स्थल आबादी के नजदीक हो।

(ख) लाभुक का अपना तालाब (प्राथमिकता एक एकड़ अथवा उससे बड़े तालाब) हो अथवा वित्तीय वर्ष 2024–25 से तीन वर्षों के लिए लीज पर हो।

(ग) जिला मुख्यालय के नजदीक के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अनुश्रवण आदि में सुविधा हो।

(घ) RFF के पास के लाभुकों के चयन में ध्यान रखा जाएगा कि RFF का लाभुक समूह सक्रिय हो तथा उनका बैंक खाता संचालित हो रहा हो।

(ङ) लाभुकों का cluster बनाकर योजना का कियान्वयन किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(च) वैसे योग्य लाभुक जो वित्तीय वर्ष 2023–24 में सक्षम स्तर से चयनित हुए हैं तथा कार्य किये जाने एवं विपत्र कोषागार में भेजे जाने के उपरांत भी अनुदान की राशि की कतिपय कारणों से निकासी संभव नहीं हो सकी, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा।

16. (क) समेकित मत्स्य पालन के रुप में मछली–सह–बत्तख पालन का जिलावार एवं लघु शीर्षवार भौतिक लक्ष्य (यूनिट में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में) परिशिष्ट **'IV'** के रुप में संलग्न है।

(ख) मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 668 दिनांक 01.06.2021 एवं पत्रांक 691 दिनांक 09.06.2021 द्वारा 0.4 हे0 अर्थात् एक यूनिट समेकित मत्स्य पालन हेतु इसके विभिन्न अवयव संबंधित अधीनस्थ स्थापनाओं को संसूचित हैं।

17. सरकार का अनुदान तीन किस्तों में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभुक को डी0 बी0 टी0 के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। अनुदान की प्रथम किस्त तथा लाभुक के अंशदान से बत्तख–घर (Duck-House) का निर्माण, Starter feed/ medicines तथा Ducklings क्रय किये जायेंगे। उक्त कार्य होने पर द्वितीय किस्त तथा दो माह तक Ducks के जीवित रहने के उपरान्त तृतीय किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी।

क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस हेतु राशि विमुक्त की जा रही है उसका व्यय उन्हीं कार्यों में किया जाय।

फीड बेस्ड फिशरीज –

18. कंडिका '3' के तालिका के क्रमांक – (क) 1 एवं (ग) 1 में कार्यालय उपकरण मद में अंकित राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची, बोकारो एवं धनबाद तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावॉ, रामगढ़ एवं कोडरमा को उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा (जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में) फीड मिल के उपकरणों का क्रय GeM के माध्यम से किया जाएगा। GeM में उपलब्ध नहीं रहने पर वित्त विभाग द्वारा स्थापित विहित प्रकिया अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त उल्लिखित तालिका के क्रमांक – (क) 7 एवं (ग) 8 में अंकित अन्य व्यय की राशि से विभिन्न जिलों में स्थापित फीड मिल के संचालन में आकस्मिकताओं के भुगतान (मात्र राँची जिला के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में) हेतु व्यय किया जायेगा। साथ ही इसी तालिका के क्रमांक – (क) 4 एवं (ग) 4 में अंकित विद्युत व्यय की राशि से राँची (जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में), सरायकेला, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो तथा धनबाद के फीड मिल के विद्युत विपत्रों का व्यय किया जायेगा।

19. विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री मद में स्वीकृत राशि से मत्स्य कृषकों/केज मत्स्य पालकों को मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत् अथवा 25/– रू0 प्रति कि0ग्रा0 अधिकतम् अनुदान पर कम से कम 24 % प्रोटीन गुणवत्तायुक्त 2 mm से बड़े 4 mm तक का फिश फीड उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग द्वारा स्थापित फिश फीड मिल अथवा झास्कोफिश से उत्पादित फिश फीड अथवा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत सरकारी अनुदान से स्थापित फिश फीड मिल से उत्पादित फीड पर ही यह लाभ कृषकों को फीड के रुप में ही दिया जाएगा।

20. उपर्युक्त कंडिका 19 के अतिरिक्त मत्स्य पालकों को 2 mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर भी 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25/–रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से ही अनुदान देय होगा।

एक लाभुक को अधिकतम कुल 700 किलोग्राम 2 mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 17500/–(सतरह हजार पाँच सौ) रू0 अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

21. कंडिका 19 एवं 20 के अतिरिक्त केज मत्स्य पालकों को दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर 50 प्रतिशत् अथवा अधिकतम 25/–रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभुक को अधिकतम कुल 1200 किलोग्राम 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 30000/–(तीस हजार) रू0 अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी। इसके अतिरिक्त रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक टैंक तथा बायोफ्लॉक तालाब के लिए भी अनुदान पर फीड उपलब्ध कराया जाएगा जो निम्न प्रकार है –

(क) <u>रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम</u> (RAS) – रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को 90 m^3 के प्रति टैंक (अधिकतम 08 टैंक) के लिए अधिकतम 650 किलोग्राम प्रति टैंक की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

(ख) <u>बायोफ्लॉक टैंक</u> (Biofloc Tank) – इसी प्रकार बायोफ्लॉक टैंक में दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को 10 m^3 के प्रति टैंक (अधिकतम 50 टैंक) के लिए अधिकतम 100 किलोग्राम प्रति टैंक की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

(ग) <u>बायोफ्लॉक तालाब</u> (Biofloc Pond) – बायोफ्लॉक तालाब (0.1 Ha) में दूसरे crop के मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को अधिकतम 2000 किलोग्राम प्रति तालाब (0.1 Ha) की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

22. केज मत्स्य पालकों/रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम लाभुकों/बायोफ्लॉक टैंक लाभुकों/बायोफ्लॉक तालाब के लाभुकों को अनुदान पर फिश फीड उपलब्ध कराने हेतु उनके चयन में यह ध्यान रखा जाय कि लाभुक सक्रिय केज मत्स्य पालक/सक्रिय रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम संचालक/सक्रिय बायोफ्लॉक टैंक संचालक/सक्रिय बायोफ्लॉक तालाब संचालक हो तथा उसके द्वारा केज में/रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में/बायोफ्लॉक टैंक में/बायोफ्लॉक तालाबों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा हो। उसके पास कम से कम पिछले एक crop का रिकॉर्ड हो। मात्स्यिकी गतिविधियों (मत्स्य बीज संचयन की विवरणी, संचित मत्स्य बीज की संख्या तथा उपलब्ध मछली, मछलियों के ग्रोथ, उत्तरजीविता तथा बिक्री की गई मछलियों का data) से नियमित रुप से जिला मत्स्य कार्यालय को अवगत कराने के लिए सहमत हो।

23. जिला मत्स्य पदाधिकारी लाभुकवार मत्स्य बीज संचयन की विवरणी, संचित मत्स्य बीज की संख्या तथा उपलब्ध मछली (कि0 ग्रा0 अथवा टन में) की विवरणी प्राप्त करेंगे। मछलियों के ग्रोथ, उत्तरजीविता तथा उपलब्ध मछलियों (यदि संचित मछलियों में से बिक्री की गई हो तो शेष उपलब्ध मछलियों) के अनुरुप ही चार किस्तों में लाभुक को अनुदान देय होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में लाभुकवार प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित कर ही अनुदान का भुगतान किया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किस्तवार देय अनुदान उपलब्ध स्टॉक तथा इसके लिए आवश्यक समानुपातिक फीड के अनुरुप हो।

24. लाभुक द्वारा 2 mm अथवा इससे छोटे साईज / 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) का वास्तविक रूप में क्रय किया गया है एवं इसकी GST Billing हुई है, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। GST Billing के बिना किसी भी लाभुक के खाते में राशि डी0बी0टी0 नहीं की जायेगी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित हो लेंगे कि लाभुक को देय अनुदान की राशि उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 50 प्रतिशत अथवा 25/–रू0 प्रति किलोग्राम अधिकतम अनुदान से ज्यादा नहीं हो। साथ ही समय–समय पर फोटोग्राफी की भी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

कंडिका '20' तथा '21' में अंकित अनुदान की विमुक्ति की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी इस तथ्य की सत्यता की जाँच कर लेंगे कि आवेदक द्वारा वास्तव में GST विपत्र के साथ फीड का क्रय किया है।

फीड बेस्ड फिशरीज के लिए जिलावार एवं लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट **'V'** के रुप में संलग्न है। निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरुप योजना के कार्यान्वयन के लिए विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत करेंगे।

केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण –

25. राज्य के वैसे सभी खदान जिनमें मछली पालन की संभावना है, उनमें केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन करने तथा स्थानीय ग्रामीणों/विस्थापितों की आय में बढ़ोत्तरी हेतु निम्न शर्त्तों के साथ राज्य योजना अन्तर्गत यह योजना स्वीकृत की गई है–

i. केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण में चालू वित्तीय वर्ष में खदानों में केज कल्चर द्वारा मछली पालन किया जायेगा।

ii. खदानों में केज कल्चर में मुख्यतः G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी मॉडल अथवा 8m x 6m x 5m के दो केज–एक बैटरी मॉडल का उपयोग किया जाएगा। दिनांक 07.07.2021 को सम्पन्न बैठक जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक 878 दिनांक 19.07.2021 द्वारा निर्गत है, में जिला मत्स्य पदाधिकारियों की अनुशंसा अनुसार खदानों में बड़े केज अर्थात् 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी से बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा क्योंकि वहाँ घुलनशील ऑक्सीजन जलाशयों की तुलना में कम होता है। साथ ही बड़े केज होने से पानी का बहाव बेहतर होगा।

iii. **खदानों का चयन –**

1. जिनका क्षेत्रफल ज्यादा हो।
2. पहुँच पथ हो तथा आबादी के नजदीक हो।
3. मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो अथवा स्थानीय लाभुक अपना अंशदान लगाने के इच्छुक हों।

iv. **लाभुकों का चयन** – लाभुकों का चयन जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निम्न शर्त्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :–

1. लाभुकों के चयन में खदानों के विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. यदि खदान के उपयोग हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो तो उसके सदस्य हो।
3. खदान के आस–पास के निवासी हों।
4. लाभुक अपना अंशदान लगाने का इच्छुक हो/सक्षम हो।
5. मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी लाभुक हो सकती है।
6. एक बैटरी में अधिकतम दो लाभुक साझा हो सकते हैं।

26. **केज अधिष्ठापन –**

(i) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा वर्ष 2021 में G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी मॉडल के मो0 3,87,850/– रु0 मात्र तथा 8m x 6m x 5m के दो केज–एक बैटरी मॉडल के मो0 3,67,350/– रु0 मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन्हीं उपलब्ध प्राक्कलनों को ध्यान में रखते हुए दोनों आकार के केज बैटरी अधिष्ठापन हेतु अधिकतम मो0 3,60,000/– रु0 मात्र प्रति केज–बैटरी की दर निर्धारित की गई है।

(ii) निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करते हुये उपरोक्त दोनों प्रकार के केज बैटरी की इकाई लागत मो0 3,58,000/– रु0 मात्र प्रति

केज–बैटरी निर्धारित की गई है तथा मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 1839 दिनांक 22.12.2021 द्वारा इच्छुक फर्म/संवेदक का empanelling किया गया है।

(iii) केज का अधिष्ठापन लाभुक द्वारा उपर्युक्त कंडिका (ii) के द्वारा empanelled फर्म/संवेदक से कराया जाएगा।

(iv) "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित प्रति केज–बैटरी की दर मो0 3,58,000/– रु0 मात्र पर 90 प्रतिशत अर्थात् मो0 3,22,200/– रु0 मात्र का अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। खदानों के विस्थापित केज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केज अधिष्ठापन में 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

27. **केज में इनपुट –**

(i) विस्थापित केज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपरोक्त उल्लिखित दोनों प्रकार के केज–बैटरी हेतु इनपुट के लिए राज्य सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत (अधिकतम मो0 2,00,000/–रू0) होंगे तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

(ii) लाभुक के द्वारा इनपुट यथा समुचित संख्या में मत्स्य बीज (प्रति बैटरी कम से कम 12000 मत्स्य बीज) संचयन के उपरांत एवं मानक कम्पनियों के 2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फिश फीड तथा आवश्यकतानुसार 4 mm तक के फ्लोटिंग फिश फीड के GST सहित अभिश्रव प्रस्तुत करने अथवा झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल से 4 mm तक के फ्लोटिंग फिश फीड के क्रय पर ही इनपुट की राशि लाभुकों के बैंक खाते में तीन किस्तों में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

(iii) फिश फीड के क्रय की भौतिक सत्यापन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों की होगी।

28. **केज मत्स्य पालकों को नाव** – केज मत्स्य पालकों को नाव भी उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना तथा केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत सामान्य नाव हेतु स्वीकृत दर के अनुरुप ही केज लाभुकों को दिये जाने वाले नाव हेतु प्रति नाव की अनुमानित इकाई लागत 33,000/– (तैंतीस हजार) रु0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम 30,000/– (तीस हजार) रु0 प्रति नाव होगी। शेष राशि लाभुक सदस्यों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा क्रय के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

29. **केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट** – केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें Three Buckle 5 mm EPF foam filled the whole jacket, weight capacity : 70 - 120 kg, buoyancy 150 N, material – polyster water resistance, size – standard 68 cm X 37 cm X 10 cm, equipped with useful whistle का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा उल्लिखित लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 2420/– रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 1815/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का अपना होगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा क्रय के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

30. **केज रिमॉडलिंग** – प्राकृतिक आपदा, स्थानीय चक्रवात, कॉप कैश के कारण लाभुकों/धारक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के टूटे केज की रिमॉडलिंग हेतु जीर्णोद्धार मद में राशि स्वीकृत की गई है।